राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170, E-mail : pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः– एफ 55(1)ग्रावि/नरेगा/भारत सरकार/एनएलएम/2023–24/05104 जयपुर दिनांक : ह0 दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य निजी कृषि भूमि में टांका निर्माण मय पक्का एवं कच्चा पायथन कार्य को अनुमत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः विभागीय पत्र क्रमांक एफ 55(1)ग्रावि/नरेगा/भारत सरकार/एनएलएम/2022 दिनांक 21.10.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना में टांका निर्माण कार्य की स्वीकृति पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई गई थी।

इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के समक्ष स्थानीय पक्ष रखा गया। इस क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र (संलग्न) द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत टांका कार्यों का निष्पादन "Farm Pond for Individuals" की अनुमेय श्रेणी के अन्तर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए टांका निर्माण कार्य की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी प्रक्रिया को महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानों, दिशा–निर्देशों एवं निर्धारित उचित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जावे।

(श्रेया गुहा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवायी हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
3. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त, ईजीएस।
6. अति0 आयुक्त प्रथम/द्वितीय ईजीएस
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस जिला परिषद समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.:
19080462